

## तेरहवीं अनुसूची

### [धारा 126(1) और धारा 161 देखिए]

वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की सातवीं अनुसूची में, शीर्ष सं0 24.04, और उसके उपशीर्ष सं0 2404.99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष सं0, उपशीर्ष सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

5	शीर्ष सं0	उपशीर्ष सं0	माल का वर्णन	शुल्क की दर
	(1)	(2)	(3)	(4)
	“27.09	2709.00	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से प्राप्त तेल, कच्चा	50 रूपए प्रति टन
	54.02	5402.20	-उच्च तीक्ष्णता वाला पालिएस्टर सूत	1%
		5402.32	--पालिएस्टर का	1%
10		5402.42	--पालिएस्टर का, भागतः उन्मुख	1%
		5402.43	--पालिएस्टर का, अन्य	1%
		5402.52	--पालिएस्टर का	1%
		5402.62	--पालिएस्टर का	1%
15	87.02	8702.10	-मोटर यान, जो मुख्य रूप से चालक को छोड़कर छह से अधिक किंतु बारह से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिसके अंतर्गत स्टेशन वैगन भी है	1%
	87.03	8703.90	-अन्य	1%
	87.04	8704.90	-अन्य	1%
	87.06	8706.21	--उपशीर्ष सं0 8702.10 के यानों के लिए	1%
20		8706.39	--उपशीर्ष सं0 8703.90 के यानों के लिए	1%
		8706.49	--उपशीर्ष सं0 8704.30 या 8704.90 के यानों के लिए	1%
	87.11	8711.10	--75 घन सेंटीमीटर से अनधिक की इंजन क्षमता वाले दुपहिया मोटर यान	1%
		8711.20	--75 घन सेंटीमीटर से अधिक की इंजन क्षमता वाले दुपहिया मोटर यान	1% l”।